

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4720  
28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजीएचएस कार्ड जारी करना

†4720. श्री शेर सिंह घुबाया:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा जारी नागरिक चार्टर के अंतर्गत फार्म जमा करने के पश्चात् लाभार्थियों को सीजीएचएस कार्ड मुद्रित करने और जारी करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;
- (ख) जनवरी 2024 से आज तक मुद्रण और जारी करने के लिए लंबित सीजीएचएस कार्डों की क्षेत्रवार और वर्षवार संख्या कितनी है;
- (ग) गत एक वर्ष के दौरान सीजीएचएस कार्डों के मुद्रण न होने तथा जारी न किए जाने के संबंध में लाभार्थियों द्वारा की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का विचार सीजीएचएस कार्डों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने तथा साथ ही नए सीजीएचएस कार्ड जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार को दिल्ली के आर.के.पुरम, सेक्टर-13 स्थित सीजीएचएस सुविधा केंद्र पर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए घंटों लंबी कतारों में इंतजार करने वाले लाभार्थियों को होने वाली असुविधा की जानकारी है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या समाधान प्रस्तावित है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): सरकार द्वारा जारी नागरिक चार्टर के तहत फॉर्म जमा करने के बाद लाभार्थियों को सीजीएचएस कार्ड मुद्रित करके जारी करने के लिए निर्धारित समय -सीमा सीजीएचएस पोर्टल पर डेटा बेस के सत्यापन की तारीख से 1 से 2 सप्ताह है। हालांकि, सीजीएचएस लाभार्थियों के पास कंप्यूटर द्वारा तैयार सीजीएचएस कार्ड प्रिंट करने का विकल्प है जो देश भर में सभी सीजीएचएस सेवाओं के लिए मान्य है।

जनवरी 2024 से मुद्रण और जारी करने के लिए लंबित सीजीएचएस कार्डों का विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है। सीजीएचएस कार्डों की छपाई न होने और जारी न करने के संबंध में कुल 453 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक-II में है।

सीजीएचएस लाभार्थियों द्वारा सीजीएचएस कार्ड को स्वयं मुद्रित करने के विकल्प के परिणामस्वरूप मुद्रित कार्ड की आवश्यकता कम हो गई है। लंबित मामलों को कम करने के लिए एडी सीजीएचएस शहर स्तर पर सीजीएचएस कार्डों की छपाई का विकेंद्रीकरण किया गया है। इसके अलावा, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, मंत्रालय ने कागज रहित कार्ड जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सी-डैक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

## जनवरी, 2024 से मुद्रण और जारी करने के लिए लंबित सीजीएचएस कार्डों का विवरण

शहर	मुद्रण हेतु लंबित सीजीएचएस कार्ड
अहमदाबाद	19000
भुवनेश्वर	शून्य
बैंगलोर	67
भोपाल	शून्य
चेन्नई	120
चंडीगढ़	1205
देहरादून	शून्य
दिल्ली एनसीआर	15734
गुवाहाटी	शून्य
हैदराबाद	90
जयपुर	56
जबलपुर	6781
कानपुर	3149
कोलकाता	13754
लखनऊ	24071
मेरठ	शून्य
मुंबई	शून्य
नागपुर	10565
पटना	10469
प्रयागराज	2572
पुणे	600
रांची	5000
शिलांग	शून्य
त्रिवेंद्रम	282
कुल	113515

सीजीएचएस कार्डों के मुद्रण और जारी करने से संबंधित शिकायतों का विवरण

शहर	शिकायतें
अहमदाबाद	21
भुवनेश्वर	शून्य
बैंगलोर	27
भोपाल	शून्य
चेन्नई	170
चंडीगढ़	शून्य
देहरादून	शून्य
दिल्ली एनसीआर	94
गुवाहाटी	शून्य
हैदराबाद	शून्य
जयपुर	13
जबलपुर	शून्य
कानपुर	शून्य
कोलकाता	शून्य
लखनऊ	20
मेरठ	शून्य
मुंबई	22
नागपुर	7
पटना	5
प्रयागराज	शून्य
पुणे	50
रांची	शून्य
शिलांग	24
त्रिवेंद्रम	शून्य
कुल	453

\*\*\*\*\*